

संख्या-4679/रा0प0/2013

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

- 1-आयुक्त,  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी व  
कुमायँ मण्डल नैनीताल।
- 2-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

दिनांक: 26 जुलाई, 2013

विषय- राजस्व विभाग के अन्तर्गत वाहन चालक के संवर्गीय ढांचे का स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 417/18(1)/2013-C3(C9) दिनांक 20जुलाई 2013(छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो परिषद को सम्बोधित व अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है।

इस सम्बन्ध में निदेशित करना है कि शासनादेशानुसार राजस्व विभाग के राजकीय वाहन चालकों के स्वीकृत पदों के संवर्गीय ढांचे का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डी0एस0गर्ब्याल)  
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 2- गार्ड फाईल।

(डी0एस0गर्ब्याल)  
आयुक्त एवं सचिव।

राजस्व विभाग को राशि पर 30 प्रतिशत

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान  
अनु सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव  
राजस्व परिषद  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 20 जुलाई, 2013

विषय:- राजस्व विभाग के अंतर्गत वाहन चालक के संवर्गीय ढांचे का स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 922/रा0प0-013 दिनांक 27-2-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के वाहन चालक के संवर्गीय ढांचे का पुनर्गठन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-408/XXvii(7)27(3)/2013 दिनांक 08-02-2013 में दी गई व्यवस्था/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल राजस्व विभाग के अंतर्गत निम्न तालिकानुसार मण्डलों/जनपदों में स्वीकृत राजकीय वाहन चालकों के स्वीकृत पदों को निम्नवत वर्गीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद/मण्डल का नाम	वाहन चालकों के स्वीकृत पदों की संख्या	वाहन चालक ग्रेड-4 5200-20200 पर रू० 1900 ग्रेड पे के-30 प्रतिशत पद	वाहन चालक ग्रेड-3 5200-20200 पर रू० 2400 ग्रेड पे के-30 प्रतिशत पद	वाहन चालक ग्रेड-2 5200-20200 पर रू० 2800 ग्रेड पे के-25 प्रतिशत पद	वाहन चालक ग्रेड-1 9300-34800 पर रू० 4200 ग्रेड पे के-10 प्रतिशत पद	वाहन चालक विशेष श्रेणी 9300-34800 पर रू० 4600 ग्रेड पे के-05 प्रतिशत पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल कार्यालय, पौड़ी	02	01	01	-	-	-
2.	आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल कार्यालय, नैनीताल	02	01	01	-	-	-
3.	चमोली	21	07	06	05	02	01
4.	रूद्रप्रयाग	10	03	03	02	01	01
5.	पौड़ी	18	05	05	05	02	01
6.	टिहरी	19	06	06	04	02	01
7.	उत्तरकाशी	17	05	05	04	02	01
8.	देहरादून	20	06	06	05	02	01
9.	हरिद्वार	11	03	03	03	01	01
10.	नैनीताल	22	07	06	06	02	01
11.	अल्मोड़ा	20	06	06	05	02	01
12.	पिथौरागढ़	17	05	05	04	02	01
13.	उधमसिंहनगर	16	05	05	04	01	01
14.	बागेश्वर	11	03	03	03	01	01
15.	चम्पावत	09	03	02	02	01	01
	योग:-	215	66	63	52	21	13

(2)

- 2- उक्त कानून के अनुसार वाहन चालकों के वर्गीकृत ग्रेडों में भर्ती की विधि निम्नवत रहेगी:-
- (क) वाहन चालक ग्रेड-4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
- (ख) वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-4 से की जायेगी जिन्होंने वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
- (ग) वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-3 के पदधारकों को जायेगी जिन्होंने ग्रेड-3 के पद पर 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड-4 की सेवाओं को जोड़ कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
- (घ) वाहन चालक ग्रेड-1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-2 पदधारकों से की जिन्होंने ग्रेड-2 के पद पर 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
- (ङ) वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-1 के पदधारकों को जायेगी जिन्होंने ग्रेड-1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-570/xxvii(7)/2013 दिनांक 12 जून, 2013 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संख्या-            / XVIII(1) / 2013-03(09) / 2009, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक का र्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त (वे0अ0-सा0नि0) अनुभाग-7
- 6- वित्त अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

भवदीय,  
(महावीर सिंह चौहान)  
अनु सचिव

आज्ञा से,  
/ (महावीर सिंह चौहान)  
अनु सचिव

4. स्थानीय आवासीय पता :